राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
78वीं एवं 79वीं बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के कार्यवृत

कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 78वीं एवं 79वीं बैठक दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 को अपर मुख्य सचिव (ग्राम्य विकास एवं वित्त) उतराखण्ड षासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सचिव (वित्त, औद्योगिक विकास एवं एम.एस.एम.ई.), सचिव (मत्स्य एवं सहकारिता), सचिव (नियोजन एवं राजस्च), सचिव (आपदा प्रबन्धक एवं ग्राम्य विकास), सचिव (प्रभारी), षहरी विकास, अपर सचिव (पर्यटन), अपर सचिव (ग्राम्य विकास), उतराखण्ड षासन, रेखीय विभागों के उच्च अधिकारियों, क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक महाप्रबन्धक (नेटवर्क–2), भारतीय स्टेट बैंक एवं राज्य में कार्यरत प्रमुख बैंकों के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक में एजेण्डेवार बिभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है :

1. **Physical Access Indicators :**

- जिला अधिकारी, उत्तरकाषी द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तरकाषी जिले में पर्यटन के दृष्टिकोण से बैंक षाखाओं की संख्या कम है। नयी षाखा खोलने हेतु जिलेवार प्लान बनाया जाना चाहिए।
- महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सुझाव दिया गया कि नई षाखा खोलते समय स्माल पेमेंट बैंक, पोस्ट पेमेंट बैंक, कस्टमर सेल्स प्वाइंट की आवष्यकता को मध्यनजर रखते हुये नई षाखा खोलने का प्लान तैयार किया जाना चाहिए।
- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि जिला टिहरी गढ़वाल में रणसोलीधार एवं जिला पौड़ी गढ़वाल में धिन्दवाड़ा में भारतीय स्टेट बैंक की षाखा खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
- अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देषित किया गया कि क्षेत्र में वास्तविक आवष्यकता एवं व्यवसायिक संभाव्यता को मध्यनजर रखते हुये जिले में नई षाखा खोलने हेतु जिला स्तर पर प्लान तैयार किया जाय एवं जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संयुक्त कमेटी गठित की जाय तथा इस विषयक Deepening of Digital Payments / Financial Inclusion हेतु गठित राज्य स्तरीय उप–समिति की बैठक में चर्चा की जाय।

(कार्यवाही : जिला प्रशासन/अग्रणी जिला प्रबन्धक/जिले में कार्यरत प्रमुख बैंक)

2. **Busincess Correspondents :**

- बी.सी. सर्टिफिकेषन कोर्स विषयक चर्चा के दौरान सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया कि वे उनके द्वारा नियुक्त बी.सी. को Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) सर्टिफिकेषन कोर्स पूर्ण करायें।
- नाबार्ड द्वारा बी.सी. को Pass Book Printer उपलब्ध कराये जाने हेतु बैंक अपने कार्पोरेट कार्यालय के माध्यम से नाबार्ड को पत्र प्रेषित करें, जिससे कि नाबार्ड अपनी बोर्ड मीटिंग में बी.सी. को Pass Book Printer उपलब्ध कराने हेतु चर्चा कर सके।

(कार्यवाही : संबन्धित बैंक)

3. **Physical Access Indicators :**

- दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य में 377 गांव कनेक्टिविटी सुविधा से अनाच्छादित हैं।
- इण्डियन पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दूर दराज क्षेत्रों में स्थित उनकी षाखाओं में कनेक्टिविटी बाधित रहती ह, जिस कारण कार्य में व्यवधान होता है।
- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा अवगत कराया गया कि बैंकों द्वारा नई षाखा एवं सब सर्विस एरिया में V-SAT लगाये जाने हेतु बैंक नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते है।
- अध्यक्ष महोदया द्वारा एस.एल.बी.सी. को ITDA, RBI, DOT एवं प्रमुख बैंकों के साथ बैठक आयोजित करने हेतु निर्देषित किया गया। राज्य में Broad Band Connectivity and internet speed बढ़ाने विषयक चर्चा बैठक में की जाय।

(कार्यवाही : एस.एल.बी.सी.)

4. **Providing a Basic Bouquet of Financial Services (Micro Insurance and Micro Pension :**

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया कि वे षून्य षेष खाताधारकों से सम्पर्क कर इन खातों को operative खाता बनाये।
- सचिव (वित्त, औद्योगिक विकास एवं एम.एस.एम.ई.), द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में पी.एम.जे. डी.वाई. योजना अंतर्गत खोले गये खातों की संख्या कम है।
- इसी अनुक्रम में महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देषानुसार भारतीय स्टेट बैंक के कार्पोरेट कार्यालय को राज्य चुनाव आयोग, 18 वष से 21 वष की आयु के युवकों की बूथवार बोटर सूची प्रेषित करेंगे, जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु एस.एल.बी.सी. को प्रेषित किया जायेगा। सूची में अंकित नाम के व्यक्ति यदि किसी सामाजिक सुरक्षा याजना में आच्छादित नही है, तो उन्हे बैंक सामाजिक सुरक्षा योजना से आच्छादित करने हेतु प्रयास करेंगे।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

5. **Kisan Credit Card :**

- सचिव (मत्स्य एवं सहकारिता) द्वारा जिला सहकारी बैंक को निर्देषित किया गया कि वे के.सी.सी. खातों की संख्या में कमी के कारणों को लिखित रुप में अवगत करायें तथा समस्त बैंक डेयरी हेतु बैंक षाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्र के अन्तर का मिलान करें।

  पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न बैंक षाखाओं को डेयरी हेतु 63000 ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किये गये थे, जबकि बैंक षाखाओं को मात्र 12000 ऋण आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। ऋण आवेदन पत्रों के अंतर का कारण पूर्व में ऋण आवेदन पत्रों का मूल रुप (manually) में प्रेषित किया जाना है।
- सचिव (नियोजन एवं राजस्च) द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि अधिकांष बैंक फसलों का बीमा नही कर रहे हैं तथा वे किसानों से opt out फार्म प्राप्त कर रहे हैं।

- कृषि विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया कि वर्तमान में बीमित किसानों में Loanee Farmers की अपेक्षा Non loanee Farmers की संख्या अधिक है तथा पंजाब नेषनल बैंक को अधिक opt out फार्म प्राप्त हुये हैं।
- अध्यक्ष महोदया द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :

  – जिन जिलों में फसलों का बीमा कम हुआ है एवं अधिक संख्या में किसानों द्वारा opt out किया गया है, उन जिलों में कृषि विभाग द्वारा इसकी जांच की जाय तथा आगामी एस.एल.बी.सी. की बैठक में बीमित किसानों का डाटा प्रस्तुत किया जाय।

  – डेयरी योजना अंतर्गत पूर्व में मूल रुप (manually) से प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों को विभाग online फीड करें।

(कार्यवाही : कृषि विभाग/पशुपालन विभाग/जिला सहकारी बैंक/अन्य समस्त बैंक)

6. Micro Credit (Self Help Groups (SHGs) & Joint Liability Groups (JLG) :

- सचिव (आपदा प्रबन्धन एवं ग्राम्य विकास) द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य में मुख्यतः भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेषनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिला सहकारी बैंक एवं उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक द्वारा ही वित्तपोषण का कार्य किया जा रहा है तथा अन्य बैंकों का वित्तपोषण बहुत कम है। अतः उन्हे निर्देषित किया जाता है कि वे उन्हे आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष ऋण स्वीकृत एवं वितरण करें।
- यू.एस.आर.एल.एम. विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि एन.आर.एल.एम. योजना अंतर्गत केनरा बैंक, यूको बैंक, यू.बी.आई., नैनीताल बैंक, एक्सिस बैंक, आई.डी.बी.आई. बैंक द्वारा कम प्रगति दर्ज की गयी है।
- जिला अधिकारी, उत्तरकाषो द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि स्वयं सहायता समूह के खाते खोलते समय बैक षाखाओं द्वारा अनावष्यक रुप से समूह के समस्त सदस्यों को षाखा में उपस्थित रहने हेतु कहा जाता है, जब कि समूह के अधिकृत सदस्यों की उपस्थित ही अनिवार्य है। अतः बैंकों द्वारा भारतीय रिजव बैंक के दिषा निर्देषों का अनुपालन किया जाना चाहिए।
- जिला अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि जिला सहकारी बैंक एवं सेन्ट्रल बैंक का back log पोर्टल में फीड करना अवषेष है।
- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सुझाव दिया गया कि यदि समस्त बैंक सहमत हों तो प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय षनिवार को सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाय, जिस पर समस्त बैंकों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।
- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि भारतीय स्टेट बैंक एवं नाबार्ड के मध्य JLGs के खाते खोलने हेतु MOU sign किया गया है।
- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि बैंक लिंकेज पर JLGs के सदस्यों को नाबाड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, अतः बैंक अपने बजट के अनुसार JLGs समूह को वित्तपोषित करें।
- अध्यक्ष महोदया द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :

  – एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड योजना विषयक दिषानिर्देष समस्त बैंकों को प्रेषित करें।

  – जिला सहकारी बैंक एवं सेन्ट्रल बैंक अतिषीघ्र back log पोर्टल में फीड करें।

(कार्यवाही : जिला सहकारी बैंक, सेन्ट्रल बैंक एवं अन्य समस्त बैंक)

7. C.D. Ratio :

- जिला अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा सुझाव दिया गया है कि राज्य में कार्यरत NBFC को भी एस.एल.बी. सी. में षामिल किया जाना चाहिए तथा सदन को अवगत कराया गया कि जिले में कार्यरत बैंक के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा डी.एल.आर.सी. की बैठक में प्रतिभाग नही किया जाता है, जिस कारण ऋण जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु बैंकों क specific plan पर चर्चा नही हो पाती है।
- संयोजक, एस.एल.बी.सी. (महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, नेटवर्क–II) द्वारा समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया कि बैंक नियंत्रक आगामी डी.एल.आर.सी. की बैठकों में प्रतिभाग करें।
- सचिव (वित्त, औद्योगिक विकास एवं एम.एस.एम.ई.) द्वारा नाबार्ड को निम्नवत निर्देषित किया गया :
  – जिले में ऋण जमा अनपात बढ़ाने हेतु कार्यनीति बनाये तथा रणनीति के तहत कार्य करें।
  – सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं अंतर्गत बैंकों द्वारा दर्ज प्रगति की विभाग के साथ समीक्षा करें।
  – जिला स्तर पर कार्यषाला (workshop) का आयोजन करें।
- अध्यक्ष महोदया द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :
  – जिन जिलों का ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिषत से कम है, उन जिलों में एम.एस.एम.ई., उद्योग, कृषि, पशुपालन, उद्यान एवं अन्य सम्बन्धित विभाग project identify करें।
  – एम.एस.एम.ई. विभाग One District Two Product योजना अंतर्गत ऋण आवेदन पत्र प्राप्त कर बैंक षाखाओं को प्रेषित करें।
  – NBFC को Special Invitee के रुप में एस.एल.बी.सी. एवं डी.एल.आर.सी. की बैठक में आमंत्रित कर उनके साथ Co-lending विषयक चर्चा की जाय।
  – Special SLBC / DLRC बैठक का आयोजन किया जाय। जिन बैंकों द्वारा जिस क्षेत्र में अच्छी प्रगति दर्ज की गयी है, वे उस विषयक जानकारी अन्य बैंकों के साथ share करें।
  – जिले में कार्यरत बैंकों के नियंत्रक DLRC बैठक में प्रतिभाग करें।

(कार्यवाही : भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड / एम.एस.एम.ई., उद्योग, कृषि, पशुपालन, उद्यान एवं अन्य सम्बन्धित विभाग/ अग्रणी जिला प्रबन्धक/समस्त बैंक)

8. Status of performance under PM SVANIDHI :

- विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि अतिथि तक योजना अंतर्गत 3086 ऋण आवेदन पत्र बैंक षाखाओं में लम्बित है।
- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा आग्रह किया गया कि सम्बन्धित Urban Local Bodies (ULBs) योजना अंतर्गत स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र के धारकों से सम्पर्क कर उन्हे षाखा परिसर में पहुंचाये, ताकि बैंक षाखाओं द्वारा ऋण वितरण की कार्यवाही की जा सके।
- ऋण आवेदक की CIBIL के Low Score की स्थिति में बैंक अपनी निर्धारित पॉलिसी के अनुरुप ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करें।
- अध्यक्ष महोदया द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :
  – समस्त बैंक षाखायें लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय से निस्तारण करें।
  – विभाग ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु कैम्प का आयोजन करें।

(कार्यवाही : षहरी विकास निदेशालय/Urban Local Bodies (ULBs) / समस्त बैंक)

9. <u>Emergency Credit Line Guarantee Scheme (GECL) for MSME</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  – योजना की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2022 तक बढा दी गयी है तथा दिनांक 29.02.2020 के स्थान पर दिनांक 31.03.2021 की Outstanding Amount पर पात्र एवं इच्छुक धारकों को GECL योजना अंतर्गत ऋण प्रदान किया जायेगा।
- समस्त बैंक योजना अंतर्गत स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों में ऋण वितरण हेतु प्रयास करें।
- अध्यक्ष महोदया द्वारा उक्त योजना के प्रचार–प्रसार हेतु निर्देषित किया गया है।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

10. <u>स्टैण्ड अप इण्डिया</u> :

- अध्यक्ष महोदया द्वारा उद्योग विभाग को निर्देषित किया गया कि वे योजना अंतर्गत ऋण आवेदन पत्र बैंक षाखाओं को प्रेषित करें, जिससे योजना अंतर्गत प्रगति प्रदर्षित हो।

(कार्यवाही : उद्योग विभाग)

11. <u>MSY Nano</u> :

- निदेषक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा एम.एस.वाई. नैनो योजना विषयक जानकारी से सदन को संक्षेप में अवगत कराया गया।
- एस.एल.बी.सी. उत्तराखण्ड द्वारा एम.एस.वाई. नैनो योजना विषयक जानकारी समस्त बैंक नियंत्रकों को प्रेषित कर दी गयी है तथा बैंकों को मुद्रा योजना के तहत एम.एस.वाई. नैनो स्वीकृत करने हेतु कहा गया है।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

12. <u>Scaling up of Centre for Financial Literacy (CFL) Project in the State of Uttarakhand</u> :

- क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य के समस्त जिलों के 16 ब्लाक के विभिन्न केन्द्रो में Centre for Financial Literacy (CFL) Project स्थापित किये जाने हेतु कार्य प्रगतिषील है, जिनमें वित्तीय साक्षरता विषयक जानकारी प्रदान की जायेगी।
- क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सम्बन्धित प्रायोजित बैंकों के नोडल अधिकारियों को निर्देषित किया गया कि वे CRISIL Foundation से सामन्जस्य कर, प्रथम चरण में चयनित 16 ब्लाकों में CFL केन्द्र अतिषीघ्र स्थापित करवायें।

(कार्यवाही : भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा)

12. Skill development initiatives : R-SETI :

- अध्यक्ष महोदया द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :
  – R-SETI में आयोजित प्रषिक्षण कार्यक्रमों को उच्च अधिकारी स्तर पर स्वीकृत किया जाय।
  – RSETI चम्पावत में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भवन निर्माण का कार्य अतिषीघ्र प्रारम्भ किया जाय।

(कार्यवाही : निदेशक आरसेटी/भारतीय स्टेट बैंक)

13. Progress in Pilot Project on Expanding and Deepening of Digital Payments undertaking the idetified District (Distt. Almora) :

- उक्त विषयक चर्चा के दौरान सचिव (वित्त, औद्योगिक विकास एवं एम.एस.एम.ई.) द्वारा जिला अधिकारी अल्मोड़ा को निर्देषित किया गया कि राज्य सरकार के समस्त विभागों, विद्यालयों, अस्पतालों, डेयरी, होटल, व्यवसायिक प्रतिष्टानों में डिटीटल माध्यम से लेनदेन किया जाय।
- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत करया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देषानुसार राज्य में डिजीटल हेतु एक अन्य जिले का चयन किया जाना है। सदन द्वारा सर्वसम्मति से चमोली जिले का डिजीटाईजेषन हेतु चयन किया गया।

(कार्यवाही : जिला प्रशासन/अग्रणी जिला प्रबन्धक, अल्मोड़ा एवं चमोली/जिले में कार्यरत बैंक)

14. NABARD - Support for Financial Inclusion & Banking Technology – Standard Schemes on Tap :

- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि Financial Literacy Programmes Banking Technology Adoption Schemes Support for Connectivity and Power Infrastructure हेतु नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- सचिव (वित्त, औद्योगिक विकास एवं एम.एस.एम.ई.) द्वारा जिला सहकारी बैंक को निर्देषित किया गया कि PACS में Micro ATM की संख्या बढ़ायी जाय।
- अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देषित किया गया कि नाबार्ड द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता को DLRC की बैठक में भी प्रस्तुत किया जाय, जिससे समस्त सहभागियों को इस विषयक जानकारी प्राप्त हो सके।

(कार्यवाही : जिला सहकारी बैंक/अग्रणी जिला प्रबन्धक)

15. Performance of Aspirational Districts in four KPIs under Targeted Financial Inclusion Intervention Programme :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उक्त कार्यक्रम जो हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर जिले में चल रहे हैं, की अवधि दिनांक 30.09.2021 से बढ़ाकर दिनांक 31.12.2021 तक बढ़ा दी गयी है। दोनो जिलों को पी.एम.एस.बी.वाई. एवं पी.एम.जे.जे.बी.वाई. में आवंटित लक्ष्य प्राप्त करने हैं।

(कार्यवाही : जिला प्रशासन/सम्बन्धित अग्रणी जिला प्रबन्धक/जिले में कार्यरत बैंक)

16. <u>SLBC Revamp Portal</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत करया गया :
  – राज्य सहकारी बैंक एवं नैनीताल बैंक द्वारा Standardized System (Block wise mapping) का कार्य पूर्ण किया जाना अवषेष है।
  – समस्त बैंक समय से SLBC Revamp Portal में डाटा फीड करें, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक को समय से सही डाटा प्रेषित किये जा सके।
  – समस्त बैंकों द्वारा SLBC Revamp Portal पर डाटा फीड न करने के कारण, एस.एल.बी.सी. को दोनो (नये एवं पुराने) पोर्टल पर डाटा फीड करने हेतु कहा जाता है।
- राज्य सहकारी बैंक एवं नैनीताल बैंक के प्रतिनिधि द्वारा Standardized System (Block wise mapping) का कार्य पूर्ण करने विषयक निम्नवत अवगत कराया गया :
  – राज्य सहकारी बैंक 15–20 दिन में उक्त कार्य पूर्ण करेंगे।
  – नैनीताल बैंक दिनांक 13 नवम्बर, 2021 तक उक्त कार्य पूर्ण करगे।

(कार्यवाही : राज्य सहकारी बैंक एवं नैनीताल बैंक/अन्य समस्त बैंक)

17. <u>होम स्टे</u> :

- जिला अधिकारी, उत्तरकाषी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि होम स्टे योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा स्वीकृत मानचित्र की मांग की जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृत करने हेतु अधिकृत संस्था नही है, जिस कारण बैंक षाखाओं में अधिकांष ऋण आवेदन पत्र लम्बित हैं।
- जिला अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  – ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का स्वामित्व आवेदक के माता–पिता के नाम होता है, जिस कारण उन्हे आवेदक के नाम स्वामित्व स्थानान्तरित करने हेतु Gift Deed करनी पड़ती है, जिससे आवेदक पर स्टाम्प डयूटी का भार पड़ता है। अतः आवेदक पर वित्तीय भार कम करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प डयूटी को कम किये जाने की आवष्यकता है।
  – आवेदक द्वारा होम स्टे का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज क्षेत्रों में किया जाता है, जिस पर बैंकों द्वारा यह आपत्ति दर्ज की जाती है कि प्रस्तावित निर्माण स्थल तक पहुंच के लिए रास्ता/रोड़ की समस्या है। अतः इस विषयक बैंकों के नियंत्रक कार्यलय से बैंक षाखाओं को निर्देष जारी कर दिये जांय।
- अध्यक्ष महोदया द्वारा पर्यटन विभाग को निर्देष जारी किये गये हैं कि वे होम स्टे योजना विषयक सेक्षन 143 में Land use परिवर्तन एवं मानचित्र विषयक समस्या के निराकरण हेतु 'षासनादेष जारी करें तथा Gift Deed हेतु स्टाम्प डयूटी कम करने का प्रस्ताव प्रेषित करें, जिससे बैंक होम स्टे एवं वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना अंतर्गत बैंक ऋण वितरण कर सके एवं योजना अंतर्गत प्रगति दर्ज हो।

(कार्यवाही : पर्यटन विभाग/समस्त बैंक)

18. <u>Compendium</u> :

अध्यक्ष महोदया द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को निर्देषित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं का Compendium बनाकर समस्त बैंक नियंत्रकों को प्रेषित करें।

(कार्यवाही : एस.एल.बी.सी.)

बैठक के अंत में समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा अपर मुख्य सचिव (ग्राम्य विकास एवं वित्त) उतराखण्ड षासन, सचिव (वित्त, औद्योगिक विकास एवं एम.एस.एम.ई.), सचिव (मत्स्य एवं सहकारिता), सचिव (नियोजन एवं राजस्च), सचिव (आपदा प्रबन्धक एवं ग्राम्य विकास), सचिव (प्रभारी), षहरी विकास, अपर सचिव (पर्यटन), अपर सचिव (ग्राम्य विकास), उतराखण्ड षासन, रेखीय विभागों के उच्च अधिकारियों, क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक, महाप्रबन्धक, नाबार्ड एवं समस्त प्रतिभागियों का बैठक में प्रतिभागिता करने हेतु धन्यवाद व्यक्त किया गया तथा कहा गया कि समस्त बैक रेखीय विभाग के सहयोग से सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सार्थक प्रयास करेंगे।

सहायक महाप्रबन्धक
(राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड)